

78. शास. महा., कोटा, जिला - बिलासपुर

मांगतांच्या-44-2202-03-(103)(798) - आयोजनेतार /आयोजना

1	प्राचार्य	12000-18300	1	
2	प्राच्या. राजनीति	12000-18300	1	
3	प्राच्या. अर्थशास्त्र	12000-18300	1	
4	प्राच्या. हिन्दी	12000-18300	1	
5	प्राच्या. धारणिज्य	12000-18300	1	
6	स.प्रा. भौतिकशास्त्र	8000-13500	1	
7	स.प्रा. वनस्पति	8000-13500	1	
8	स.प्रा. प्राणीशास्त्र	8000-13500	1	
9	म.पा. रसायन	8000-13500	1	

क्र.	पद नाम	उप विभाग	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमार्क
				स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6	
10	स.प्रा. गणित		8000-13500	1		
11	स.प्रा. हिन्दी		8000-13500	1		
12	स.प्रा. अंग्रेजी		8000-13500	1		
13	स.प्रा. भूगोल		8000-13500	1		
14	स.प्रा. समाज		8000-13500	1		
15	स.प्रा. राजनीति		8000-13500	2		
16	स.प्रा. अर्थशास्त्र		8000-13500	1		
17	स.प्रा. इतिहास		8000-13500	1		
18	स.प्रा. वाणिज्य		8000-13500	2		
19	कीड़ा अधिकारी		8000-13500	1		
20	ग्रन्थपाल		8000-13500	1		
21	सहा. घोड-1		4500-7000	1		
23	सहा.घोड-2		4000-6000	1		
24	डाटा एन्ड्री ऑपरेटर		3500-5200	-	1	
25	सहा.घोड-3		3050-4590	1		
26	प्रयो. तकनीशियन		4000-6000	4		
27	प्रयो. परिचारक		2750-4400	5		
28	भृत्य		2550-3200	2		
29	बुकलिफ्टर		2550-3200	1		
30	चौकीदार		2550-3200	1		
31	स्वीपर		2550-3200	1		
योग :-				39	1	

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ १-४५/२००४/३८, रायपुर, दिनांक ३०-।
प्रति,

आयुवत,

उच्च शिक्षा संचालनालय,

रायपुर छ.ग.

विषय:- उच्च शिक्षा संचालनालय के मैदानी कार्यालय (शासकीय महाविद्यालयों) के सेटअप के सम्बन्ध में ।

राज्य शासन द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्थित 116 शासकीय महाविद्यालयों के लिये कुल 4551 पदों के सेटअप की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संरथावार पदों की सूची संलग्न परिशिष्ट में है । स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. सेटअप में उल्लिखित पदों के येतनमान की पुष्टि कर ली गई है ।
 2. आयोजना के सभी पद अरथात् एवं आयोजनेत्तर के सभी पद रथायी होंगे ।
 3. उक्त संस्थाओं हेतु पद निर्माण सम्बन्धी सभी पूर्व आदेश स्वयमेय अधिक्रमित माने जावेंगे ।
 4. पदों को भरने के लिये प्रस्ताव पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजे जायें ।
 5. विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा ।
2. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के यूओ. क्रमांक ५३७/१२४५./ वित्त विभाग/ब-३/२००५, दिनांक १०/११/२००५, के द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है ।

संलग्न :- स्वीकृत सेटअप की प्रति ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

२००५/११/०५,

(जी.डी. गुप्ता) २६/११/०५

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग